कार्यालय नगरपरिषद डूँगरपुर (राज.)

:-02964–232459, फैक्स :– 02964–233690, Email Id :- npd.dpr@gmail.com

क्रमांक / निर्माण / न.प.डूँ / 2026–27 / 884 दिनांक :– 27.5.2026

NOTICE INVITING E - BID

ई–निविदा सूचना संख्या 07 / 2026–27

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से मय डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि के लिये राजस्थान सरकार के "एए", "ए" बी एवं सी,डी श्रेणी के संवेदको एवं केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार व अनुभवी व्यक्तियों उनके अधिकृत संगठनो में पंजीकृत संवेदको जो कि राजस्थान सरकार "एए" "ए" "बी", सी,डी के समकक्ष हो एवं अनुभवी संवेदक निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई–प्रोक्युरमेन्ट प्रकिया हेतु ऑनलाईन निविदाए आमन्त्रित की जाती है। निविदा से संबधित विवरण इन्टरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in / www.sppp.raj.gov.in पर उपलब्ध है।

कुल निविदा के कार्य	:	04 कार्य	
निविदा की लागत	:	50.82 लाख	
कुल धरोहर राशि	:	अनुमानित लागत की दो प्रतिशत 1,01,640/–	
ऑन लाईन निविदा फार्म मिलने की तारीख	:	28.5.2026 9.6.2026	प्रातः 11.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराने की तारीख	:	28.5.2026 9.6.2026	प्रातः 11.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक
कार्यालय में डी.डी.जमा कराने की तारीख	:	10.6.2026	सांय 6.00 बजे तक
ऑन लाईन निविदा खोलने की तारीख	:	11.6.2026	प्रातः 9.00 बजे से

NIB CODE :-

27/5/26

(प्रकाश डूडी)

आयुक्त

नगरपरिषद डूँगरपुर (राज.)

आयुक्त

नगरपरिषद डूँगरपुर (राज.)

D/Naeem/E-Bid

कार्यालय नगरपरिषद डूँगरपुर (राज.)

Phone :-02964–232459, Fax :– 02964–233690, Email Id :- npd.dpr@gmail.com

---

क्रमांक/निर्माण/न.प.डूँ/2026–27/ 834 दिनांक :– 27.5.2026

NOTICE INVITING E - BID

ई–निविदा सूचना संख्या 07/2026–27

नगरपरिषद द्वारा निम्न कार्य कराये जाने हेतु सामग्री क्रय /सेवाओं (................) में ईच्छुक एंव अनुभवी संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्यूमेन्ट प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन दर संविदा हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। टेण्डर की शर्तें निम्नानुसार हैः–

1. आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं आर.टी.पी.पी. रूल्स 2013 के नियम एवं शर्ते निविदा में लागू होंगे।
2. निविदादाताओं को निविदा शुल्क/बोली प्रतिभूति एवं प्रोसेसिंग फीस ऑन लाईन नगर परिषद की वेबसाइट .... पर Submission Date and time से पूर्व जमा करवाकर उससे प्राप्त होने वाली रसीद को स्केन करके www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने पर ही निविदा को मान्य किया जावेगा।
3. बोली आमंत्रण प्रपत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव उचित रूप में ऑनलाईन प्रस्तुत किए जाने है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)	अमानत राशि 2%	निविदा शुल्क	MD-RISL Fees	निविदा प्रकाशित करने की तिथि	निविदा अपलोड करने की तिथि	निविदा डाउनलोड/अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय	निविदा खोलने की तिथि व समय	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	परिषद क्षेत्र में विभिन्न स्थानो पर विभिन्न साईज के फेरो कवर लगाने का कार्य।	15.00	30,000	500	500	28.5.26	28.5.26	9.6.26	11.6.26	वार्षिक
2.	Chyna moasicc work on Govt. Building in Municipal council Area (ARC)	20.00	40,000	500	500	28.5.26	28.5.26	9.6.26	11.6.26	वार्षिक
3.	फतेहगढी में संचालित नगरपरिषद क्षेत्र के विभिन्न केमरो की मरम्मत व सर्वेलेन्स पार्टस लगाने का कार्य।	10.00	20,000	500	500	28.5.26	28.5.26	9.6.26	11.6.26	6 माह
4.	नगरपरिषद के विभिन्न भवनों में लगी लिफ्टो का मेन्टेनेन्स का कार्य।	5.82	11,640	500	500	28.5.26	28.5.26	9.6.26	11.6.26	2 वर्ष

4. निविदादाता निविदा राशि की 2.00 प्रतिशत अमानता राशि जमा कराना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति घोषणा पत्र की हार्डकॉपी फर्म द्वारा निर्धारित समय, दिनांक पर कार्यालय में जमा करानी होगी।
5. संवेदक को किसी भी राजकीय संस्था विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन अथवा उपक्रम में वर्तमान में ब्लैक लिस्टेड/डी–बार अथवा डिफाल्टर घोषित नहीं किया होना चाहिए इस संबंध में 100 रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पैपर पर नोटरी से प्रमाणित शपथ–पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक हैं।
6. फर्म का नाम एवं पता मय टेलीफोन नम्बर फर्म की स्थिति एकाकी/पार्टनरशिप/प्रा.लि. आदि का विवरण संलग्न करना होगा। साथ ही फर्म का पैनकार्ड नं. की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। फर्म का स्वंय का नगरीय निकाय क्षेत्र में कार्यालय स्थित होना आवश्यक है। (प्रमाण पत्र संलग्न करे।)

7. फर्म का जीएसटी विभाग द्वारा जारी जीएसटी सर्टिफिकेट मय नवीनतम जीएसटी रिर्टन प्रमाण पत्र की छाया प्रति सलंग्न करनी होगी।

8. संवेदक को उपरोक्त कार्य में भाग लेने के लिए विगत तीन वित्तीय वर्ष में निविदा राशि का वार्षिक औसत न्यूनतम 50 प्रतिशत टर्न ओवर प्रतिवर्ष का होना आवश्यक होगा। इस हेतु संवेदक द्वारा सी.ए. से प्रमाणित ओडिटेड बेलेन्स शीट लगाया जाना आवश्यक होगा।

9. संवेदक को निविदा में मांगे गये दस्तावेजों की पूर्ती कर लगाया जाना आवश्यक होगा। यदि मांगे गये दस्तावेजों की पूर्ती नही किये जाने पर उस फर्म को असफल माना जावेगा।

10 फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में आपूर्तिकर्ता/सेवाप्रदाता ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन में संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नही किया जावेगा।

11 निविदादाता विफल रहा है के मूल्य की निम्नानुसार प्रतिशत के आधार पर वसूली की जावेगी।

• विहित परिदान कालावधि की एक चौथाई कालावधि तक विलम्ब	2.50 प्रतिशत
• विहित कालावधि से एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी से आनाधिक कालावधि तक बिलम्ब	5.00 प्रतिशत
• विहित कालावधि के आधे से किन्तु तीन चौथाई तक की कालावधि का बिलम्ब	7.50 प्रतिशत
• विहत कालावधि के तीन चौथाई से अधिक की कालावधि का बिलम्ब	10.00 प्रतिशत
• निर्धारित नुकसान की अधिकतम् रकम	10.00 प्रतिशत

12 संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भादीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नही किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिये बाध्य नही हो जाते एवं क्रेंता अधिकारी को इस संबंध में लिखित नामा प्रस्तुत नही कर देतें। प्राप्त स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदारी की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संवदि के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

13 स्वीकृत निविदादाता की नगरपरिषद डूँगरपुर द्वारा समय–समय पर सामग्री क्रय (..........) एवं सेवायें .... के आदेश मिलने पर नगरपरिषद द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर सामान की निर्देशानुसार पूर्ण व्यवस्था करनी होगी। सामान टूट–फूट रहित साफ तथा अच्छी क्वालिटी का होना आवश्यक है। स्वीकृत निविदादाता को इसके लिये अतिरिक्त चार्ज देय नही होगा। सामान की संख्या में कमी या बढोतरी करने का अधिकार परिषद को पूर्ण अधिकार होगा।

14 स्वीकृत निविदादाता को निविदा की शर्तो की पूर्ण पालना करनी होगी। शर्ते की अवहेलना/खराब सामान आपूति करने पर तथा विलम्ब पर नियमानुसार कार्यवाही कर नुकसान को वसुलने का परिषद को पुर्ण अधिकार होगा। ऐसे मामलों में फर्म के दोषी पाये जाने पर स्वीकृति निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जा सकेगी। नई फर्म को निविदा द्वारा कार्यादेश दिये जाने तक नगरपरिषद ठैकेदार की रिस्क व कोस्ट के आधार पर किसी अन्य (निविदा में भाग लेने वाली फर्म से कार्य कराया जा सकेगा, जिसकी कटौती ठैकेदार से की जावेगी।

15 किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार नगरपरिषद को होगा।

16 सफल निविदादाता को सामग्री/सेवाओं की टेण्डर राशि की 10 प्रतिशत राशि सिक्योरिटी डिपोजिट के रूप में रखी जाएगी। इसमें अमानत राशि को समायोजित करते हुए, शेष राशि ठेकेदार को जमा करानी होगी। यह निविदा अवधि तक परिषद कोष में जमा रहेगी। इस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

17 सफल निविदादाता को नियमानुसार निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर परिषद के तहत शर्तो की पालना के संबंध में एक संविदा पत्र लिखना होगा, जिस पर दो गवाहों के हस्ताक्षर होगें।

18 निविदा की शर्ते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन करने का अधिकार आपसी सहमति से परिषद को होगा। लेकिन यह निविदा प्रस्तुत करने की तारीख से पूर्व होना चाहिए तथा निविदा के कुल समय का 50 प्रतिशत समय से पूर्व अपलोड होना चाहिए।

19 निविदादाता द्वारा दी जाने वाली दरें सभी कर सहित होगी।

20 फर्म के बिलों से नियमानुसार आयकर कटौती भुगतान करते समय की जाएगी।

21 यदि निविदादाता किसी कार्यादेश की पूर्ति समय पर नही कर पावे अथवा आदेशों की अवलेहन करता है, या आदेशों को लेने से मना करता है, तो 5000/– रू प्रतिदिन की दर से जुर्माना आगामी होने वाले भुगतान राशि में से काटा जावेगा।

22 कार्य की आवश्यकता को देखते हुए दूरभाष पर भी आदेश दिये जा सकेंगे जो ठेकेदार को मान्य होंगे। इसकी पुष्टि में बाद में आदेश जारी किये जा सकेंगे।

23 निविदादाता द्वारा दरें निकटतम रू. एवं पैसो में दी जावेगी।

24 ठेकेदार के ठेके को निरस्त करने की अवस्था में परिषद द्वारा उचित समझे जाने पर निविदा में भाग लेने वाली अन्य फर्मो से प्रथम निविदादाता वर्तमान (ठेकेदार) की अनुमोदित दरों पर कार्य करने की सहमति लेकर कार्य कराया जा सकेगा, जो शेष अवधि के लिए होगा।

25 इस करार से उत्पन्न समस्त विवादों तथा इस करार के निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रश्न परिषद द्वारा निर्णित किये जाएगें और परिषद का निर्णय अंतिम होगा।

26 सिविल विवााद की स्थिति में स्थानीय सिविल न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार होगा।

27 राज्य सरकार व परिषद द्वारा समय समय पर जारी आदेश निर्देश मान्य होंगे।

28 निविदादाता को ई–मेल द्वारा सूचना दी जा सकती है। इसलिए आप अपने फैक्स नम्बर साथ ही ई–मेल तथा मोबाईल नम्बर देने जरूरी होंगे।

29 संतोषजनक कार्य नहीं होने की स्थिति में अनुबन्ध को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है तथा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

30 निविदादाता द्वारा किसी भी आईटम की दर प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा को अपूर्ण मानकर निरस्त कर दिया जायेगा।

31 दर संविदा हेतु किसी निविदादाता द्वारा अस्पष्ट एवं अव्यावहारिक दरें दी जाती है, तो उसकी निविदा निरस्त कर अमानता राशि जब्त कर ली जायेगी।

32 यदि किसी निविदादाता द्वारा टेण्डर की राशि से कम दर भरी जाती है तो सफल निविदादाता को एल.ओ.ए. (स्वीकृति प्रत्र) जारी किये जाने के 14 दिवस के अन्दर अन्तर की राशि बीजी / एफडीआर / एनएससी के रूप में परिषद में जमा करानी होगी। कार्य संतोषप्रद पूर्ण होने के पश्चात् वापस लौटा दी जावेगी।

33 निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र तथा एनेक्सचर A,B & C को स्वयं हस्ताक्षर कर स्केन करके www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने पर ही निविदा को मान्य किया जावेगा। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

34 निविदादाता दरों की वैधता अवधि खोले जाने की दिनांक से 90 दिवस तक अनुमोदन हेतु मान्य होगी।

35 आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं आर.टी.पी.पी. रूल्स 2013 की सभी नियमों एवं शर्ते पूर्णतः प्रभावी रहेगी।

36 उक्त कार्यो का डिफेक्ट लाइबिलीटी पिरीयड Goverment of Rajasthan Urban Devlopment and housing Department के आदेश क्रमांक CE(HQ)/UDH/DLP/2024 Jaipur के आदेशानुसार रहेगा।

(प्रकाश डूडी)
आयुक्त
नगरपरिषद डूँगरपुर (राज.)

27/5/26

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaktesh Patidar
Date: 2026.05.27 16:07:57 IST
Location: Rajasthan-RJ